FORM NO III

M.P.A.
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम ओसियां

किशोर सिंह बनाम किशनाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 251A नं. 245/22 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय	
[illegible]9/22	प्रार्थी द्वारा पेश प्रा.प. में स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा सं. 801/11 रकबा 2.9704 है. ग्राम जाखड़ों की ढाणी, पटवार सामराऊ, तहसील ओसियां में आवागमन हेतु अप्रार्थी का खसरा नं. 809 रकबा 6.2807 है. में से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दर्ज किये जाने की मांग की गई। प्रार्थी द्वारा नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार रास्ता चलने का कथन कहा गया जिसे अप्रार्थी द्वारा समय-समय पर बंद कर दिया जाता है। प्रार्थी द्वारा उक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम की तामील हुक्म की तारीख में जारी हुए
	वर्णित खसरा नं. में आवागमन हेतु किसी प्रकार का वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा खसरा नं. 809 में किसी प्रकार का रास्ता नहीं होना बताया गया। अप्रार्थी द्वारा बताया गया कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नं. 801/11 में आवागमन हेतु की गई रास्ते की मांग खसरा नं. 809 से किया जाना उचित नहीं है। चूंकि खसरा नं. 801/11 मूल खसरा नं. 801 का हिस्सा है एवम् सभी सहखातेदार आवागमन हेतु उसी खसरे का इस्तेमाल करते रहे थे राजस्व	

नक्शे में अंकित सहखातेदारों का हिस्सा अलग से दर्ज किये जाने बनने वालों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। इस मूल खसरा नं. 801 में चिपकते हुए ऊपर सड़क निकलती है। अतः प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है एवम प्रा.प. खारिज किये जाने योग्य है।

भू.अ.नि. से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी खसरा नं. 801/11 में काबिज ना होकर अन्य खसरे में काबिज है। मूल खसरा नं. 801 के सहखातेदारों में राजस्व नक्शे को लेकर विवाद है। बहस सुनी गई। न्यायालय ने निम्नानुसार विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया

तारीख हुक्म

1. रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :-

चूंकि भू. अ. नि. रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण मांग किये गये खसरा नं. 809/11 पर काबिज नहीं है एवम् अन्य स्थान पर काबिज कारत हैं अतः रास्ते की आवश्यकता नहीं। जिस खसरा नं. पर प्रार्थी काबिज है वहां आवागमन हेतु कोई समस्या नहीं है।

वैकल्पिक रास्ते का अभाव :- भू. अ. नि. रिपोर्ट में धारा 131, 136 के तहत (म.रा.अ.) चालू रास्ते के स्थान पर जै. मु. रास्ता दर्ज किया जाना बताया।

अतः मूल खसरा नं. 809 में होकर रास्ते की मांग किया जाना उचित होगा। खसरा नं. 809 में होकर मांगा गया रास्ता दर्ज किया जाना उचित नहीं। प्रा. प. खारिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर, चौमूं

रा.मु.जी.